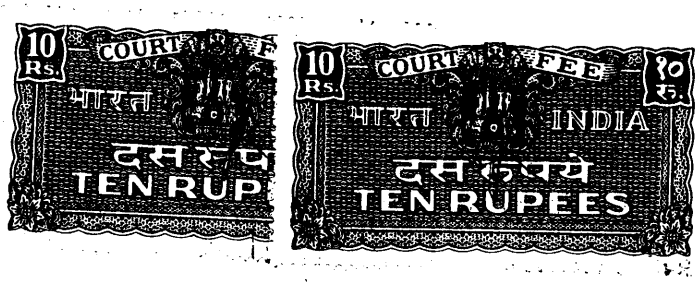

10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(74)

प्र0क्र0— R-999-I/12

1. विनोद कुमार सिंह तनय स्व0 लक्ष्मी कुमार सिंह चंदेल उम्र—60 वर्ष, पेशा— खेती,
2. प्रमोद कुमार सिंह तनय स्व0 लक्ष्मी कुमार सिंह चंदेल उम्र—58 वर्ष, पेशा— खेती,
3. प्रदीप कुमार सिंह तनय स्व0 लक्ष्मी कुमार सिंह चंदेल उम्र—56 वर्ष, पेशा— खेती,
4. निलेश कुमार सिंह तनय स्व0 लक्ष्मी कुमार सिंह चंदेल उम्र—54 वर्ष, पेशा— खेती,

निवासीगण ग्राम— बाघाडीह, तहसील— देवसर, जिला— सिंगरौली (म.प्र.)

——— आवेदकगण / निगरानीकर्ता

बनाम

अधिवक्ता श्री लाल प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दिनांक 1-3-2012

1.3.12

नोट:- केवियट क्र. 21 दि. 23.1.2012 द्वारा 22/2/2012 को दी गई। 1.3.12

7.4.12

1. जे0पी0 मिनरल्स जे0पी0 नगर रीवा द्वारा अमित शर्मा तनय डी0सी0 शर्मा निवासी जे0पी0 नगर रीवा (म.प्र.)
2. श्रीमती किरण कुमारी सिंह पुत्री स्व0 कृष्ण कुमार सिंह चंदेल पत्नी महेश प्रताप सिंह उम्र— 66 वर्ष, पेशा— गृहकार्य, निवासी ग्राम— सरसवाही, तहसील— उमरिया, जिला— उमरिया (म.प्र.)

——— अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा— 50 म0प्र0 भू— राजस्व संहिता 1959

अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा प्र0क्र0 451 / अपील / 11—12 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक— 18.01.12 के अंश भाग पैरा क्रमांक— 5 से व्यथित होकर निगरानीकर्ता / आवेदकगण की ओर से यह निगरानी निम्नांकित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:—

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि आवेदकगण की ओर से अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी देवसर, जिला— सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा प्रथम अपील प्र0क्र0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 999–एक/2012 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24 –01–2017	आवेदक अभिभाषक श्री राकेश निगम एवं अनावेदक अभिभाषक श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। 2/ यह प्रकरण अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 18–1–2012 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसमें अपर आयुक्त ने अपने अंतरिम आदेश में आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया है। 3/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालयक के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक 18–1–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में स्थगन प्राप्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई थी। आवेदक के आवेदन पर इस न्यायालय ने पूर्व में दिनांक 24–8–13 एवं 22–11–13 को दो बार स्थगन प्रदान किया जा चुका है। अब पुनः स्थगन प्रदान किया जाना उचित नहीं है। प्रकरण मात्र स्थगन के बिन्दु पर चार वर्ष से अधिक समय से प्रचलित है। अतः आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया जाता है। अपर आयुक्त के समक्ष नामांतरण प्रकरण का अंतिम निराकरण होना है। अतः प्रकरण अपर आयुक्त को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत विधिवत निराकरण हेतु वापस भेजा जाता है। इस न्यायालय में कोइ कार्यवाही शेष न होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ अभिलेख वापस भेजा जाये। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	